संख्या–वे0आ0–2–186 / दस–2007–44 / 2001टी0सी0

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव–II
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(वेतन आयोग)अनु0–2 लखनऊः दिनांकः 01 फरवरी,2007

विषयः– रू0 10650–15850 के वेतनमान वाले ऐसे पद जिनके पोषक पद रू010000–15200 के वेतनमान में हैं,उन्हें रू0 12000–16500 का वेतनमान अनुमन्य कराये के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

"(i) रू0 10650–15850 के वेतनमान वाले ऐसे पद जिनके लिए रू0 8000–13500 अथवा 8550–14600 के वेतनमान वाले पद पोषक पद हैं वहां रू0 10650–15850 के वेतनमान वाले पदों के वेतनमान को यथावत बनाये रखा जाय।

(ii)रू0 10650–15850 के वेतनमान वाले ऐसे पद जिनके लिए रू0 10000–15200 के वेतनमान वाले पद पोषक पद हैं वहां 10650–15850 के वेतनमान वाले पदोन्नति के पदों का वेतनमान उच्चीकृत कर रू0 12000–16500 अनुमन्य करा दिया जाय।

(iii) ऐसे विभाग जहां रू0 10650–15850 के वेतनमान वाले पदों के पोषक पद रू0 10000–15200 के वेतनमान के हैं परन्तु संवर्ग में उनकी पदोन्नति रू0 12000–16500 के वेतनमान में किये जाने की व्यवस्था है वहां रू0 10650–15850 के वेतनमान वाले पदों को रू0 12000–16500 के वेतनमान वाले पदों के साथ संविलीन कर दिया जाय।"

2– उपर्युक्त पदो के वर्तमान पदधारको का उच्चीकृत वेतनमानो में वेतननिर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2,भाग–2से 4 के मूल नियम 22 के उप नियम (दो)(ग) की व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3– कृपया उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव–II

संख्या–वे0आ0–2–186(1) / दस–2005–44 / 2001टी0सी0,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।